न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 27/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00105

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
चम्पालाल पुत्र बींजाराम जाति सरगरा, निवासी रडावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)		1. मांगीलाल पुत्र चिमनाराम जाति साटिया निवासी गुडा प्रेमसिंह तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह कुम्पावत

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/08/21

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम गुड़ा प्रेमसिंह पटवार हल्का रडावास के नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम गुड़ा प्रेमसिंह पटवार क्षैत्र रडावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के खसरा नम्बर 1050/20 रकबा 2.0234 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा–काश्तसुदा भूमि स्थित थी। उक्त वादग्रस्त भूमि में से अपीलाण्ट ने दिनांक 26.07.2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में दक्षिण दिशा का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामे से बेचाण कर दिया। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने नामान्तरकरण संख्या 256 दर्ज करते समय कॉलम संख्या 09 में सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को 1/2 , 1/2 का हिस्सेदार घोषित कर दिया, कौनसा हिस्सा किसका होगा, यह अंकन नहीं किया। जबकि पंजीयन दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से अंकन है कि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि में से दक्षिण दिशा का भाग ही विक्रय किया है। लेकिन राजस्व कार्मिकों ने विधि के विरूद्ध जाते हुए, पंजीयन दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण नहीं दर्ज कर, अपनी मर्जी अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 07.05. 2019 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 20.05.2019 को तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पंजीयन माफिक संशोधन बाबत निवेदन करने पर उनके द्वारा अपीलाण्ट को बार–बार चक्कर लगवाने के पश्चात दिनांक 19.06.2019 को स्पष्ट रूप से मना कर देने के पश्चात अपीलाण्ट ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपील न्यायालय में पेश की, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि पंजीयन दस्तावेज दिनांक 26.07.2017 के अनुसार नामान्तरकरण में संशोधन किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 07.05.2019 को हुई, इसके पश्चात उसके द्वारा संशोधन बाबत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष आवेदन पेश किए गए तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा संशोधन नहीं करने पर, उसके द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय में पेश की, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। ग्राम गुड़ा प्रेमसिंह पटवार क्षेत्र रड़ावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के खसरा नम्बर 1050/20 रकबा 2.0234 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा–काश्तसुदा भूमि स्थित थी। उक्त आराजी में से अपीलाण्ट ने दक्षिण दिशा का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को दिनांक 26.07.2017 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के बेचाण कर दिया, जो पत्रावली संलग्न रजिस्ट्री से स्पष्ट है, लेकिन तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 256 दर्ज किया, जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स के नियम 125 में यह स्पष्ट अंकन है कि " यदि किसी खेत का कोई भाग अथवा अंश हस्तांतरित कर दिया गया है एवं अलग कब्जा हो गया हो तो पूरे खेत का नक्शा हस्तान्तरित भाग बताते हुए, नामान्तरण–पत्र एवं उसके प्रति–परत के पीछे खींचा जाएगा। विभाजन की कोई कार्यवाही जरूरी नहीं है।" लेकिन मूल नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण के पीछे इस तरह का कोई नक्शा नहीं खीचा गया है, न ही मूल नामान्तरकरण में इस तरह का कोई अंकन है। इसके साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने भी नामान्तरकरण पंजीयन दस्तावेज अनुसार भरे जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 256 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम गुड़ा प्रेमसिंह पटवार हल्का रडावास के नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 11.06.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधिसम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 25/08/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली